भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1366
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से काले धन का प्रवाह

1366. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश में क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने संबंधी नियम जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले भारतीय क्रिप्टो उद्योग को बिना नियमों के संचालित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर काले धन का प्रवाह हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्रिप्टो विनियमों में काले धन की निगरानी और देश में क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): क्रिप्टो-आस्तियां/वर्चुअल डिजिटल आस्तियां (वीडीए) भारत में अविनियमित हैं, और सरकार उनसे संबंधित डेटा एकत्र नहीं करती है। चूंकि ये आस्तियां स्वाभाविक रूप से सीमाहीन हैं, इसलिए विनियामक मध्यस्थता को रोकने हेतु सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है। इसलिए, क्रिप्टो आस्तियों के लिए कोई भी विनियामक फ्रेमवर्क केवल जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन तथा सामान्य वर्गीकरण एवं मानकों के मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है।

(ग) से (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा कई बार क्रिप्टो करेंसी और वीडीए से जुड़े कर अपवंचन संबंधी मामलों का पता लगाया गया है और आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कार्रवाई करता है। जहां भी कर अपवंचन का पता चलता है, करदाताओं को जागरूक करना, ई-सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन, सर्वेक्षण अथवा तलाशी और जब्ती जैसी अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, वीडीए संव्यवहार से 888.82 करोड़ रुपये की अघोषित आय की पहचान की गई है। सीबीडीटी के एनयूडीजीई

(नॉन-इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल) अभियान के तहत, उन करदाताओं, जिन्होंने वीडीए में निवेश या व्यापार किया है, लेकिन अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) के वीडीए शेड्यूल में इसकी जानकारी नहीं दी है, को 44,057 पत्र भेजे गए। डेटा एनालिटिक्स टूल, प्रोजेक्ट इनसाइट और आंतरिक डेटाबेस का उपयोग आईटीआर में प्रकटीकरण सहित वीडीए संव्यवहार की जानकारी का मिलान करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) द्वारा फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न और करदाताओं के आईटीआर का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि विसंगतियों की पहचान की जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।

सरकार ने वीडीए को धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम, 2002 के दायरे के तहत शामिल कर दिया है तथा वीएएसपी को रिपोर्टिंग निकाय बनाया गया है और उनके लिए एफआईयू-आईएनडी को विनिर्दिष्ट और संदिग्ध संव्यवहार संबंधी रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत क्रिप्टो से संबंधित कई मामलों की जांच की है, जिनमें अपराध संबंधी 4189.89 करोड़ रुपये की आय को कुर्क/जब्त/फ्रीज़ किया गया, 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 22 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं। एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, वीडीए सहित सभी आस्तियों पर लागू होते हैं। बेनामी अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में अभियोजन चलाया जा सकता है जहां वीडीए सहित आस्तियां बेनामी होती है, और काला धन अधिनियम के तहत वीडीए सहित अघोषित विदेशी आस्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार वीडीए से संबंधित संव्यवहार की निगरानी और जांच को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण संबंधी पहलें भी कर रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, *चिंतन शिविर* और डिजिटल फोरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, विधिक फ्रेमवर्क और डिजिटल साक्ष्य संबंधी सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अधिकारियों को एनएफएसयू, गोवा के माध्यम से डिजिटल फोरेंसिक में विशेष अल्पकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि कैप्चर किए गए डेटा से वीडीए संबंधी संव्यवहार की पहचान करने और उनका पता लगाने में सहायता मिल सके।

****